निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968

संसदीय तथा निर्वाचन–क्षेत्र में निर्वाचनों में प्रतीकों के विनिर्देश, आरक्षण, चयन तथा आवंटन के लिए, उनके संबंध में राजनैतिक दलों को मान्यता देने के निमित्त तथा तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए

आदेश

का0 आ0 2959, तारीख 31 अगस्त, 1968 संसद् और हर राज्य के विधान–मंडल के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण, भारत के संविधान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग में निहित है ;

और, लोकसभा तथा हर राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों की शुद्धता के हित में तथा ऐसे निर्वाचनों के उचित एवं दक्षतापूर्ण रीति से संचालन के हित में, प्रतीकों के विनिर्देश, आरक्षण, चयन तथा आवंटन के लिए, उनके संबंध में राजनैतिक दलों को मान्यता देने के निमित्त तथा तत्संसक्त विषयों के लिए उपबंध करना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः भारत निर्वाचन आयोग [1][लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और 10 के साथ पठित] संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करता है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना तथा प्रारंभ – (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, तथा जम्मू–कश्मीर राज्य के सभी निर्वाचन–क्षेत्रों से भिन्न सभा संसदीय तथा सभा निर्वाचन–क्षेत्रों में के निर्वाचन के संबंध में लागू होता है।

(3) यह भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा; इस तारीख को इसमें इसके पश्चात् इस आदेश का प्रारंभ कहा गया।

2. परिभाषाएं और निर्वचन – (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "खंड" से उस पैरे या उप पैरे का कोई खंड अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है ;

(ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन गठित भारत का निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "निर्वाचन–क्षेत्र" से संसदीय या सभा निर्वाचन–क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(घ) "सविरोध निर्वाचन" से किसी संसदीय अथवा सभा निर्वाचन–क्षेत्र से ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है, जिसमें मतदान होता है ;

(ङ) " निर्वाचन" से वह निर्वाचन अभिप्रेत है जिसे यह आदेश लागू होता है ;

[2][(ङङ) "फार्म" का अर्थ इस आदेश के साथ संलग्न फार्म है;]

(च) "साधारण निर्वाचन" से कोई ऐसा साधारण निर्वाचन अभिप्रेत है, जो लोक सभा अथवा किसी राज्य की विधान सभा का गठन करने के निमित्त इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात् किया गया हो, और इसके अंतर्गत वह साधारण निर्वाचन आता जिसके द्वारा लोक सभा अथवा किसी राज्य की विधान सभा, जो ऐसे प्रारंभ होने के समय विद्यमान है और कार्य कर रही है, गठित की गई हो ;

(छ) "पैरा" से इस आदेश का पैरा अभिप्रेत है ;

———————————

1 अधिसूचना सं0 आ0 अ0 56 (अ,)तारीख 15 जून, 1989 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित

2 अधिसूचना सं0 56 / 97 / न्यायिक अनुभाग–।।। तारीख,15 दिसंबर, 1997 द्वारा अंतः स्थापित

[1][(ज) "राजनैतिक दल" से भारत के व्यष्टिक नागरिकों का ऐसा संगम या निकाय अभिप्रेत है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत है ;]

[2][(झ) "राज्य" में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी सम्मिलित है ;]

(ञ) "उपपैरा" से उस पैरे का उपपैरा अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है ;

[3](ञञ) "संघ राज्यक्षेत्र" से तात्पर्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और संघ राज्यक्षेत्र, पांडिचेरी के अतिरिक्त अन्य संघ राज्यक्षेत्र है ; तथा}

(ट) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त हुए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 या तद्धीन बनाए गए नियमों या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 या तद्धीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों और नियमों में क्रमशः समनुदिष्ट हैं।

(2) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के संबंध में यावत्शक्य उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी केंद्रीय अधिनियम के निर्वचन के संबंध में लागू होता है।

[4][**3.*** * * * * *]

4. प्रतीकों का आबंटन–निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को इस आदेश के उपबंधों के अनुसार हर सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आबंटित किया जाएगा तथा उसी निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले भिन्न–भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न–भिन्न प्रतीक आबंटित किए जाएंगे।

5. प्रतीकों का वर्गीकरण–(1) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक या तो आरक्षित है अथवा मुक्त।

(2) इस आदेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है, जो किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के लिए, उस दल के द्वारा खड़े किए गए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को ही अनन्य रूप से आबंटित किए जाने के लिए आरक्षित है।

(3) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है।

[5]{ 6. राजनैतिक दलों का वर्गीकरण–(1) इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर, आयोग विनिर्दिष्ट करे, राजनैतिक दल या तो मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है अथवा अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल।

(2) कोई मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल या तो राष्ट्रीय दल होंगे या राज्यीय दल।

[6][6क. राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त करने के लिए शर्त

एक राजनैतिक दल किसी राज्य में राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए केवल और केवल तभी पात्र होगा यदि व निम्नलिखित शर्तो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो :–

———————————

1. अधिसूचना सं0 आ0 अ0 56 (अ)] तारीख 15 जून, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित
2. अधिसूचना सं0 आ0 अ0 56/99/न्या0अनु0।।। तारीख 8 जून, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित
3. अधिसूचना सं0 आ0 अ0 56/99/न्या0अनु0।।। तारीख 8 जून, 1999 द्वारा अंतः स्थापित
4. अधिसूचना सं0 आ0 अ0 21(अ), तारीख 23 मार्च 1992 के द्वारा पैरा 3 विलोपित (25.03.1992 से प्रभावी)
5. अधिसूचना सं0 56/2000/न्या0।।। तारीख 1 दिसंबर 2000 द्वारा प्रतिस्थापित

6. अधिसूचना सं0 56/2005 न्या0।।। तारीख 14 मई 2005 द्वारा प्रतिस्थापित

(i) राज्य को विधान सभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में, दल के द्वारा खडे किए गए अभ्यर्थियों ने, उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के छह प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हों, और इसके अतिरिक्त इस प्रकार के साधारण निर्वाचन में उस दल ने उस राज्य की विधानसभा के लिए कम से कम दो सदस्य निर्वाचित कराएं हैं, अथवा

(ii) उस राज्य से लोकसभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में, दल के द्वारा खडे किए गए अभ्यर्थियों ने, उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के छह प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हों, और इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के साधारण निर्वाचन में दल ने लोकसभा के लिए कम से कम एक सदस्य उस राज्य से निर्वाचित कराया है, अथवा

(iii) उस राज्य की विधानसभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में, दल राज्य की विधान सभा के कुल स्थानों में से कम से कम तीन प्रतिशत स्थानों पर विजयी रहा हो (आधे से अधिक भाग (भिन्न) को एक गिना जाएगा), अथवा पूर्वोक्त साधारण निर्वाचन में विधानसभा के लिए कम से कम तीन स्थानों पर या इनमें से जो भी अधिक हो, पर विजयी रहा हो, अथवा

(iv) राज्य से लोक सभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में, दल ने लोक सभा के लिए उस राज्य को आबंटित प्रत्येक 25 सदस्यों के पीछे या उसके किसी भाग (भिन्न) के लिए कम से कम एक सदस्य निर्वाचित कराया है, अथवा

[1]{(v) राज्य से लोक सभा या राज्य की विधान सभा के पिछले साधारण निर्वाचन में दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों ने उस निर्वाचन में, उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के आठ प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हों !}

6ख. राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए शर्त –कोई राजनैतिक दल एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का पात्र होगा, यदि और केवल यदि, निम्नलिखित शर्तो में से कोई एक पूरी होती है :

(i) लोकसभा या संबंधित राज्य की विधानसभा के पिछले साधारण निर्वाचन में किन्हीं चार या अधिक राज्यों में दल के द्वारा खडे किए गए अभ्यर्थियों ने, उनमें से प्रत्येक राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के छह प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हैं और इसके अतिरिक्त उस साधारण निर्वाचन में किसी राज्य या राज्यों से पूर्वाक्त पिछले साधारण निर्वाचन में दल ने लोकसभा के लिए कम से कम चार सदस्य निर्वाचित कराए हैं, अथवा

---

1. अधिसूचना सं0 56/2007/पी0पी0एस0 ।। तारीख 16.9. 2011 द्वारा अंतःस्थापित

(ii) लोक सभा के लिए पिछले साधारण निर्वाचन में दल ने लोक सभा के लिए कुल स्थानों में से कम से कम दो प्रतिशत स्थानों पर विजयी रहा हो (आधे से अधिक भाग(भिन्न) को एक गिना जाएगा), और पार्टी के अभ्यर्थी कम से कम तीन राज्यों से लोक सभा के लिए विजयी रहा हो, अथवा

(iii) कम से कम चार राज्यों में उस दल को राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है ।]

6ग. राष्ट्रीय या राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त बने रहने कि लिए शर्तें–यदि कोई राजनैतिक दल पैरा 6क के अधीन राष्ट्रीय दल या पैरा 6ख के अधीन राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त है, तो यह प्रश्न कि क्या लोक सभा या जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य की विधान सभा के किसी अनुवर्ती साधारण निर्वाचन के बाद भी ऐसे मान्यताप्राप्त बने रहेंगे, यह उस साधारण निर्वाचन के परिणामों पर उक्त पैरे में विनिर्दिष्ट शर्तों को उनके द्वारा पूरा किए जाने पर निर्भर करता है। }

[1] [7. व्यावृत्ति और निर्वचन– [2]{(i) पैरा 6 क, 6 ख या 6 ग में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि कोई दल निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथ आबंटन) (संशोधन), आदेश, 2005 के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, या तो एक राष्ट्रीय दल या एक राज्यीय दल के रूप में, इस आदेश के प्रारंभ होने से पूर्व विद्यमान शर्तो को संतुष्ट करते हुए मान्यता प्राप्त था, तो लोकसभा, या जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य की विधानसभा के लिए होने वाल आगामी साधारण निर्वाचन के प्रयोजन हेतु उक्त दल को ऐसे राष्ट्रीय या राज्यीय दल का स्तर बना रहेगा और वह उसका लाभ प्राप्त करता रहेगा, यह इसकी मान्यता के लिए आधार बने निर्वाचन (निर्वाचनों)पर निर्भर करेगा और उसके बाद राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल के रूप में जारी इसकी मान्यता इसके द्वारा पैरा 6 क या 6 ख, जो भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा करने पर निर्भर करेगी

---

1. अधिसूचना सं0 56/2000/ न्या0अनु0।।।, तारीख 1.12..2000 द्वारा प्रतिस्थापित
2. अधिसूचना सं0 56/2005/ न्या0अनु0।।।, तारीख 14.5.2005 द्वारा प्रतिस्थापित

परन्तु यदि वह ऐसी मान्यता के लिए निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन)(संशोधन)आदेश, 2005 के प्रारंभ होने से पहले और उसके बाद भी विद्यमान शर्तो को संतुष्ट करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल के रूप में इसकी मान्यता को प्रत्याहरित करने से आयोग को कोई नहीं रोक सकता । }

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि पैरा 6क या पैरा 6ख की शर्तों को किसी राजनीतिक दल द्वारा तब पूरा किया गया नहीं समझा जाएगा, –

(i) यदि, यथास्थिति, लोक सभा या संबंधित राज्य की विधान सभा के अंतिम साधारण निर्वाचन के पश्चात्, उसका नए सिरे से गठन किया जाता है, चाहे ऐसा किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दल में विभाजन के परिणामस्वरूप या अन्यथा किया गया हो, और उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाता है ; या

(ii) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के किसी सदस्य द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा या उस विधान सभा में उसके निर्वाचन के पश्चात्, उस दल में सम्मिलित होने पर या उस दल की सदस्यता प्राप्त करने पर।]

8. राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आबंटन–

(1) भारत के किसी भी निर्वाचन–क्षेत्र में के निर्वाचन में किसी राष्ट्रीय दल द्वारा खड़ा किया गया ऐसा कोई अभ्यर्थी उस दल का आरक्षित प्रतीक, न कि कोई अन्य प्रतीक, चुनेगा तथा वही उसे आबंटित किया जाएगा।

(2) किसी ऐसे राज्य में जिसमें ऐसा दल राज्यीय दल है, किसी निर्वाचन–क्षेत्र में के निर्वाचन में उस दल द्वारा खड़ा किया गया कोई अभ्यर्थी उस राज्य में उस दल का आरक्षित प्रतीक न कि कोई अन्य प्रतीक, चुनेगा, तथा वही उसे आबंटित किया जाएगा।

(3) किसी निर्वाचन–क्षेत्र में आरक्षित प्रतीक का किसी ऐसे अभ्यर्थी द्वारा चयन तथा उसे उसका आबंटन न किया जाएगा जो उस राष्ट्रीय दल द्वारा, जिसके लिए ऐसा प्रतीक आरक्षित किया गया है, या उस राज्यीय दल द्वारा, जिसके लिए उस राज्य में, जिसमें वह राज्यीय दल है, ऐसा प्रतीक आरक्षित किया गया है, खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न हो, भले ही उस निर्वाचन–क्षेत्र में ऐसे राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल द्वारा कोई भी अभ्यर्थी खड़ा न किया गया हो।

[1][9. राज्यीय दलों के लिए आरक्षित प्रतीकों के उन राज्यों के आबंटन पर निर्बन्धन जिनमें ऐसे दल मान्यताप्राप्त नहीं है–

किसी भी राज्य में किसी राज्यीय दल के लिए आरक्षित प्रतीकः–

———————————————

1. अधिसूचना सं0 56/97/ न्या0अनु0।।।, तारीख 15.12.1997 द्वारा प्रतिस्थापित

[1]{(क) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, तथा

(ख) किसी अन्य दल के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा जो, किसी अन्य राज्य के राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पैरा 6 में निर्दिष्ट शर्तें पूरा करने पर बाद में पात्र हो जाता है।

बशर्ते खंड (ख) में निहित कुछ भी राजनैतिक दल के संबंध में लागू न होता हो, जिसके लिए आयोग ने, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) (संशोधन) आदेश, 1997 लागू होने के तत्काल पहले उसी प्रतीक को पहले ही आरक्षित किया हो जिसे इसने किसी अन्य राज्य या राज्यों में किसी अन्य राज्यीय दल या दलों के लिए भी आरक्षित कर दिया हो।}]

[1] [10. राज्यीय दल द्वारा अन्य राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों में निर्वाचनों में खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए रियायतें–यदि कोई राजनैतिक दल, जो किसी राज्य या किन्हीं राज्यों में राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त है, किसी निर्वाचन में किसी भी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचन–क्षेत्र से जहां कि यह एक मान्यताप्राप्त राज्यीय दल नहीं है, कोई अभ्यर्थी खड़ा करता है तो, उस निर्वाचन–क्षेत्र से अन्य सभी अभ्यर्थियों का अपवर्जन करते हुए उस दल के लिए उस राज्य या उन राज्यों में, जहां वह मान्यताप्राप्त राज्यीय दल है, आरक्षित प्रतीक, इसके बावजूद कि ऐसा प्रतीक ऐसे अन्य राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, निम्नलिखित शर्तों में से प्रत्येक को पूरा करने पर, ऐसे अभ्यर्थी को आबंटित किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) कि उक्त दल ने, अपने द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित करने के लिए आवेदन, निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् उसके तीन दिन के भीतर, आयोग को दे दिया है ;

(ख) कि उक्त अभ्यर्थी ने अपने नामनिर्देशन–पत्र में यह घोषणा की है कि निर्वाचन में उक्त दल द्वारा उसे खड़ा किया गया है और यह कि दल ने ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में पैरा 13–क के साथ पठित पैरा 13 के खंड (ख), (ग), (घ) और (ड़) की अपेक्षाओं को भी पूरा किया है, और

(ग) कि आयोग के विचार में ऐसे आबंटन के लिए आवेदन नामंजूर करने का कोई उचित आधार नहीं है :

बशर्ते कि ऐसे राज्यीय दल द्वारा, ऐसे राज्य में, जहां वह दल राज्यीय दल नहीं है और जहां उस राज्य में किसी अन्य राज्यीय दल के लिए वही प्रतीक पहले ही आरक्षित है, किसी निर्वाचन में, किसी भी निर्वाचन–क्षेत्र में, खड़े किए गए अभ्यर्थी पर इस पैरा में अंतर्विष्ट कुछ भी लागू नहीं होगा।]

———————————————

1. अधिसूचना स0 56/99/न्या0अनु0।।। तारीख 8.6.99 द्वारा प्रतिस्थापित

[1][10क किसी अमान्यता प्राप्त दल द्वारा, जो राष्ट्रीय या राज्यीय दल के रूप में पहले मान्यता प्राप्त था, खडे किए अभ्यर्थियों को छूट–यदि कोई राजनैतिक दल जो इस समय अमान्यता प्राप्त है, नहीं लेकिन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से छह वर्षो से अनधिक किसी भी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में एक राष्ट्रीय या राज्यीय दल था, किसी राज्य या संघ राज्य–क्षेत्र में किसी निर्वाचन में, किसी निर्वाचन क्षेत्र से कोई अभ्यर्थी खड़ा करता है, भले ही वह दल उस राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र में पहले मान्यता प्राप्त था या नहीं, तब ऐसे अभ्यर्थी को उस निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे सभी अभ्यर्थियों का अपवर्जन करते हुए वह प्रतीक आबंटित किया जाएगा जो उस दल के लिए पहले आरक्षित था जब वह दल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल था, इस बात के होते हुए भी कि वह प्रतीक ऐसे राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के मुक्त प्रतीकों की सूची में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो, बशर्ते निम्नलिखित में से प्रत्येक शर्ते पूरी होती हों, अर्थात् :–

(क) कि उक्त दल ने अपने द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को वह प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित करने के लिए आवेदन, निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् उसके तीन दिन के भीतर आयोग को दे दिया है ।

(ख) कि उक्त अभ्यर्थी ने अपने नामांकन पत्र में यह घोषणा की हो कि उसे निर्वाचन में उस दल द्वारा खड़ा किया गया है और यह कि उस दल ने ऐसे अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पैरा 13क के साथ पठित पैरा 13क खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ड़) की अपेक्षाएँ भी पूरी कर ली है, और

(ग) कि आयोग के विचार में उसके पास ऐसे आबंटन के लिए इस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई यथोचित आधार नहीं है ; बशर्ते किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, किसी निर्वाचन में, उक्त दल द्वारा खड़े किए गए उस अभ्यर्थी पर इस पैरा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा, जहॉ पर ऐसा प्रतीक उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी दूसरे राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल के लिए वही प्रतीक पहले से ही आरक्षित है ।]

[2][10ख–रजिस्ट्रीकृत (अमान्यताप्राप्त) दलों और उन अमान्यताप्राप्त दलों जो 6 वर्ष से अधिक पहले मान्यता प्राप्त दल थे, के द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए रियायत।

किसी रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा किसी राज्य की विधानसभा या लोक सभा के साधारण निर्वाचन में खड़े किए गए अभ्यर्थियों को एक ही प्रतीक आबंटित किया जाएगा बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हों :–

———————————————————————

1. अधिसूचना सं0 56/2000/न्या0।।। तारीख 1 दिसंबर 2000 द्वारा अंतःस्थापित

2. अधिसूचना सं0 56/2013/पी पी एस।। तारीख 10 जुलाई, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित

(क) विधान सभा के साधारण निर्वाचनों में–

(i) राजनीतिक दल राज्य के विधान सभा निर्वाचनों में कम से कम 10% (दस प्रतिशत) विधानसभा क्षेत्रों पर और यदि राज्य में विधानसभा में 40 या इससे कम सीटें हों, तो कम से कम 5 सीटों पर, अपने अभ्यर्थी खड़ा करेगा;

(ii) विधान सभा की सामान्य कार्य-अवधि पूरी होने पर निर्वाचन होने के मामले में उस दल द्वारा निर्वाचन लड़ने के अपने आशय की सूचना, उप खण्ड (i) के अधीन विधानसभा की कार्य अवधि पूरी होने की तारीख से छह महीने पहले शुरू होने वाली अवधि के दौरान कभी भी और अधिकतम निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित तारीख से पांच पूर्ण दिवस पहले, आयोग को दे दी जाती है;

(iii) अपने सामान्य कार्यकाल से पहले विधानसभा के भंग होने की दशा में दल द्वारा उप खण्ड (i) के अधीन अपने आशय के संबंध में सूचना विधानसभा के भंग होने की तिथि से किसी भी समय और अधिकतम उस तारीख से जिस तारीख से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले आयोग को सूचना दे दी जाती है;

(iv) दल इस आदेश के पैरा 17 के अन्तर्गत आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से, वरीयता क्रम में, दस प्रतीकों के नाम देगाः

बशर्ते कि कोई दल, यदि ऐसी इच्छा व्यक्त करता है, अपने अभ्यर्थियों के आबंटन के लिए प्रतीक के नामों तथा सुस्पष्ट डिजाइन एवं आरेखों के साथ अपने पसंद के तीन नए प्रतीकों का भी, वरीयता क्रम में, प्रस्ताव करे जिस पर आयोग एक ही प्रतीक आबंटित करने पर विचार कर सकता है जब उसका यह अभिमत हो जाए कि ऐसे प्रतीक को आबंटित करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है :

बशर्ते यह भी कि दलों द्वारा प्रस्तावित प्रतीकों का मौजूदा आरक्षित प्रतीकों या मुक्त प्रतीकों से न तो कोई सादृश्य हो और न ही कोई धार्मिक या सांप्रदायिक स्वगुणार्थ हो या किसी पक्षी या पशु का वर्णन करता हो;

बशर्ते यह भी कि नए प्रतीक के लिए किसी भी प्रस्ताव पर आयोग द्वारा तब तक कोई विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसे संबंधित विधानसभा की कार्य अवधि समाप्त होने की तिथि से कम से कम तीन महीने पहले या विधानसभा के समय–पूर्व भंग किए जाने के एक महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, न दिया गया हो;

(v) दल यह वचन–पत्र भी दे कि यदि दल ऊपर शर्त (i) में यथा–विहित निर्वाचन–क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या में अभ्यर्थियों को खड़ा नहीं करता है तो उसके अभ्यर्थी प्रतीकों के आबंटन की तिथि के दिन उन्हें एक ही प्रतीक आबंटित किए जाने के हकदार नहीं होंगे; और, इसके अतिरिक्त दल आयोग द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली दण्डात्मक कार्रवाई का भागी भी बनेगा।

(vi) दल जिन निर्वाचन–क्षेत्रों में अभ्यर्थी खड़े कर रहा है उनकी क्रम संख्याओं और नामों वाली सूची आयोग को उस तिथि से जिस तिथि से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले प्रस्तुत की जाए।

(ख) लोक सभा के सामान्य निर्वाचन में–

(i) दल उस राज्य में संसदीय निर्वाचन–क्षेत्रों के कम से कम 10% (दस प्रतिशत) में अभ्यर्थी खड़े करे जिसमें वह अपने अभ्यर्थियों के लिए एक ही प्रतीक का आबंटन चाहता है बशर्ते कि उन राज्यों में न्यूनतम दो निर्वाचन–क्षेत्र हो जिनमें राज्य को बीस से कम संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र आबंटित किए गए हों (सिवाए ऐसे राज्य के जिनमें केवल एक सीट है);

(ii) लोक सभा की सामान्य कार्य अवधि पूरी होने पर निर्वाचन होने के मामले में उस दल द्वारा निर्वाचन लड़ने के अपने आशय की सूचना, उप खण्ड (i) के अधीन लोक सभा की कार्य अवधि पूरी होने की तारीख से छह महीने पहले शुरू होने वाली अवधि के दौरान कभी भी और अधिकतम उस तारीख से जिस तारीख से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले, आयोग को दे दी जाती है;

(iii) अपने सामान्य कार्यकाल से पहले लोक सभा के भंग होने की दशा में दल द्वारा उप खण्ड (i) के अधीन अपने आशय के संबंध में सूचना लोक सभा के भंग होने की तिथि से किसी भी समय और अधिकतम उस तारीख से जिस तारीख से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले आयोग को सूचना दे दी जाती है;

(iv) दल इस आदेश के पैरा 17 के अन्तर्गत आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से, वरीयता क्रम में, दस प्रतीकों के नाम देगाः

बशर्ते कि कोई दल, यदि ऐसी इच्छा व्यक्त करता है, अपने अभ्यर्थियों के आबंटन के लिए प्रतीक के नामों तथा सुस्पष्ट डिजाइन एवं आरेखों के साथ अपने पसंद के तीन नए प्रतीकों का भी, वरीयता क्रम में, प्रस्ताव करे जिस पर आयोग एक ही प्रतीक आबंटित करने पर विचार कर सकता है जब उसका यह अभिमत हो जाए कि ऐसे प्रतीक को आबंटित करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है :

बशर्ते यह भी कि दलों द्वारा प्रस्तावित प्रतीकों का मौजूदा आरक्षित प्रतीकों या मुक्त प्रतीकों से न तो कोई सादृश्य हो और न ही कोई धार्मिक या सांप्रदायिक स्वगुणार्थ हो या किसी पक्षी या पशु का वर्णन करता हो;

बशर्ते यह भी कि नए प्रतीक के लिए किसी भी प्रस्ताव पर आयोग द्वारा तब तक कोई विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसे संबंधित लोक सभा की कार्य अवधि समाप्त होने की तिथि से कम से कम तीन महीने पहले या लोक सभा के समय–पूर्व भंग किए जाने के एक महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, न दिया गया हो;

(v) दल यह वचन–पत्र भी दे कि यदि दल ऊपर शर्त (i) में यथा–विहित निर्वाचन–क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या में अभ्यर्थियों को खड़ा नहीं करता है तो उसके अभ्यर्थी प्रतीकों के आबंटन की तिथि के दिन उन्हें एक ही प्रतीक

आबंटित किए जाने के हकदार नहीं होंगे; और, इसके अतिरिक्त दल आयोग द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली दण्डात्मक कार्रवाई का भागी भी बनेगा।

(vi) दल जिन निर्वाचन–क्षेत्रों में अभ्यर्थी खड़े कर रहा है उनकी क्रम संख्याओं और नामों वाली सूची आयोग को उस तिथि से जिस तिथि से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले प्रस्तुत की जाए ।

स्पष्टीकरण :

संदेह के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि–

(i) उन मामलों में जहां इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख तथा विधानसभा की अवधि समाप्त होने की तारीख के बीच की अवधि छह मास से कम है, इस पैरा के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होंगे ;

(ii) इस पैरा के अधीन अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के अभ्यर्थियों को एक समान प्रतीक के आबंटन की छूट, दल की पसंद के हिसाब से लोक सभा या राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन में केवल एक–बारगी सुविधा होगी और जिस दल ने इस छूट का एक बार लाभ उठा लिया है वह बाद के किसी भी साधारण निर्वाचन में इसका पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि, जैसा कि इस अधिसूचना से पहले विद्यमान था, जिन पार्टियों ने पैरा 10ख के अधीन छूट का पहले ही उपभोग कर लिया है वे भी इस पैरा के संशोधित प्रावधानों के अनुसार एक–समान प्रतीक की एक–बारगी छूट के पात्र होंगे ;

(iii) इस पैरा के अधीन किसी दल के अभ्यर्थियों को एक ही प्रतीक के रूप में आबंटित मुक्त प्रतीक अन्य दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें उस दल ने अपने अभ्यर्थी खड़े नहीं किए हैं, के निर्दलीय उम्मीदवारों को आबंटन के लिए उपलब्ध रहेंगे ;

(iv) इस पैरा के अधीन एक समान प्रतीक का आबंटन 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर किया जाएगाः बशर्ते कि यदि आयोग में एक ही तारीख को एक ही प्रतीक को अधिमान देते हुए दो या अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसे दलों में से किसी एक को प्रतीक के आबंटन के प्रश्न का निर्णय आयोग के निदेशानुसार 'ड्रा' जैसी किसी विधि द्वारा किया जाएगा।

बशर्ते कि, इसके अतिरिक्त यदि समान प्रतीक के लिए अधिमान देने वाले दो या अधिक ऐसे दलों के एक ही तारीख को आवेदन प्राप्त हुए हैं, और उनमें से एक दल ऐसा है जिसके द्वारा अधिमान दिए गए प्रतीक पर लोक सभा या संबंधित राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं, तो अन्य दलों को छोड़ कर हुए उस दल को प्रतीक आबंटित कर दिया जाएगा।

(v) यदि आयोग के लिए किसी कारणवश दल के अभ्यर्थियों का उन प्रताका का सूचा म स एक हा प्रताक प्रदान करना सभव न हा ाजसक ालए उन्हान इस पैरा के अतगत अपना प्राथामकता दा ह तो वह उस पार्टी के परामर्श से मुक्त प्रतीकों की सूची में से उस दल को कोई अन्य प्रतीक आबंटित कर सकता है।

(vi) पैरा 10क में निहित किसी बात के होते हुए भी, कोई राजनैतिक दल जो पहले मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल था तथा जिसने 6 से अधिक वर्ष पहले अपनी मान्यता गंवा दी थी इस पैरा के अधीन उस प्रतीक, जो दल के मान्यता गंवा देने के छह वर्ष पूरे होने के उपरान्त आयोजित लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में उस दल के लिए आरक्षित था, के आबंटन की एक–बारगी छूट का पात्र होगा बशर्ते कि खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत निर्दिष्ट शर्तों में से प्रत्येक शर्त, जैसा भी मामला हो, उप खण्ड (iv) में दी गई शर्त के सिवाय, पूरी की गई हों।]

11. [1][पैरा 10 अथवा पैरा 10क] के अधीन आबंटित प्रतीकों के चयन तथा आबंटन पर निर्बन्धन–

जब कभी किसी संसदीय निवाचन–क्षेत्र में तथा ऐसे संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र में समाविष्ट सभी निर्वाचन–क्षेत्रों में निर्वाचन साथ–साथ होते हैं, तब पूर्वगामी उपबन्धों में से किसी में भी अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(क) यदि किसी संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र में किसी निर्वाचन में किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी का पैरा 10 के अधीन कोई प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित किया गया है तो वह प्रतीक उक्त सभी निर्वाचन–क्षेत्रों में से किसी में के किसी भी निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी को तब तक आबंटित नही किया जाएगा जब तक वह अभ्यर्थी उसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी न हो ;

(ख) यदि उक्त सभी निर्वाचन–क्षेत्रों में से किसी में के किसी निर्वाचन में किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी का [1][पैरा 10 अथवा पैरा 10क] के अधीन कोई प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित किया गया है तो वह प्रतीक उक्त संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी को तब तक आबंटित नहीं किया जाएगा जब तक वह अभ्यर्थी उसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी न हो।

[2][12. अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन और उनका आबंटन–(1) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में के किसी निर्वाचन–क्षेत्र से, निर्वाचन में–

(क) किसी राष्ट्रीय दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी, अथवा
(ख) किसे ऐसे राजनैतिक दल द्वारा, जो उस राज्य में राज्यीय दल है, खड़े किए गए अभ्यर्थी ; अथवा
[3]{(ग) पैरा–10 या पैरा–10क या पैरा–10ख में निर्दिष्ट अभ्यर्थी}

से भिन्न कोई अभ्यर्थी इस पैरा में एतद्द्वारा दिए गए उपबंधों के अनुसार, पैरा 17 के अधीन अधीसूचना द्वारा उस राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों के रूप में विनिर्दिष्ट प्रतीकों में से एक प्रतीक को चुन लेगा और वही उसे आबंटित किया जाएगा।

(2) जहां कि ऐसे निर्वाचन में कई मुक्त प्रतीक केवल एक अभ्यर्थी द्वारा चुना गया है, वहां रिटर्निंग आफिसर वह प्रतीक उस अभ्यर्थी को न कि किसी अन्य को, आबंटित करेगा।

(3) जहां कि ऐसे निर्वाचन में कई अभ्यर्थियों द्वारा एक ही मुक्त प्रतीक चुना गया है, वहां–

(क) यदि उन कई अभ्यर्थियों में से केवल एक अभ्यर्थी किसी अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तथा शेष सभी निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, तो रिटर्निंग आफिसर यह मुक्त प्रतीक उस अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को, न कि किसी अन्य को, आबंटित करेगा, और यदि उन कई अभ्यर्थियों में से दो या

---

1. अधिसूचना सं0 56/2000/न्या0।।। तारीख 1 दिसंबर द्वारा अंतःस्थापित
2. अधिसूचना सं0 56/2000/न्या0।।। तारीख 1 दिसंबर द्वारा प्रतिस्थापित
3. अधिसूचना सं0 56/2011/पी पी एस।। तारीख 16 सितंबर 2011 द्वारा प्रतिस्थापित

अधिक अभ्यर्थी विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए हैं, तथा शेष निर्दलीय अभ्यर्थी हैं तो, रिटर्निंग आफिसर लॉट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए, उन दो या अधिक अभ्यर्थियों में से किसकों वह मुक्त प्रतीक आबंटित किया जाए तथा जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकले उसी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा :

परन्तु जहां विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए ऐसे दो या अधिक अभ्यर्थियों में से एक, ऐसे निर्वाचन से, ठीक पूर्व, यथास्थिति, लोक सभा अथवा विधान सभा, का आसीन सदस्य है, या था (इस तथ्य पर विचार किए बिना कि पहले निर्वाचन में जब वही मुक्त ऐसा सदस्य चुना गया था उसे वही मुक्त प्रतीक आबंटित किया गया था अथावा कोई अन्य प्रतीक), वह रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा ;

(ख) यदि उन कई अभ्यर्थियों में से कोई भी किसी अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया है लेकिन सभी अभ्यर्थी निर्दलीय हैं, तथा उन निर्दलीय अभ्यर्थियों में से एक ऐसे निर्वाचन से ठीक पूर्व, यथास्थिति, लोक सभा अथवा विधान सभा का आसीन सदस्य है, या था, और पहले निर्वाचन में जब वह ऐसा सदस्य चुना गया था तब उसे वही मुक्त प्रतीक आबंटित किया गया था तो रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा; तथा

(ग) यदि उन कई अभ्यर्थियों में सभी निर्दलीय हैं और कोई भी यथापूर्वोक्त आसीन सदस्य नहीं है या नहीं था, तो रिटर्निंग आफिसर लॉट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि उन निर्दलीय अभ्यर्थियों में से किसको वह मुक्त प्रतीक आबंटित किया जाए, तथा जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकले, उसी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा।]

[1][13. कोई अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया कब माना जाएगा—किसी संसदीय अथवा विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र से किसी निर्वाचन के प्रयोजन से जिस पर यह आदेश लागू होता है ऐसे किसी संसदीय या विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र में राजनैतिक दल द्वारा किसी अभ्यर्थी को तभी और सिर्फ तभी खड़ा किया माना जाएगा यदि,—

(क) अभ्यर्थी ने अपने नामनिर्देशन—पत्र में इस आशय की एक निर्धारित घोषणा की है;

[2]{(कक) अभ्यर्थी उस राजनैतिक दल का सदस्य है और उसका नाम दल के सदस्यों की नामावली में शामिल है;}

(ख) राजनैतिक दल द्वारा लिखित में फार्म में इस आशय की सूचना नामनिर्देशन—पत्र भरने की अंतिम तारीख को 3 बजे पूर्वाह्न से अपश्चात् निर्वाचन—क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को दे दी गई हो ;

(ग) उक्त नोटिस फार्म "ख" में दल के अध्यक्ष, सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो और नोटिस भेजने वाले अध्यक्ष, सचिव या ऐसे अन्य पदाधिकारी को दल द्वारा ऐसी सूचना भेजने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ;

(घ) ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और नमूना हस्ताक्षर दल द्वारा फार्म "क" में निर्वाचन—क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को [3]{संबंधित राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र} के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख को 3 बजे पूर्वाह्न के अपश्चात् से सूचित कर दिए गए हैं, और

---

1. अधिसूचना सं0 56/99/न्या0।।। तारीख 20 मई 1999 द्वारा प्रतिस्थापित
2. अधिसूचना सं0 56/2000/न्या0।।। तारीख 1 दिसंबर द्वारा अंतःस्थापित
3. अधिसूचना सं0 56/99/न्या0।।। तारीख 8 जून 1999 द्वारा प्रतिस्थापित

(ड़) फार्म "क" और "ख", उक्त पदाधिकारी या दल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है :

बशर्ते ऐसे किसी प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि हस्ताक्षर या रबड़ स्टांप आदि के माध्यम से किए हुए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और फैक्स द्वारा भेजा गया कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

[1][13क. किसी राजनैतिक दल द्वारा किसी अभ्यर्थी का प्रतिस्थापन :–

किसी भी संदेह के निराकरण हेतु इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई राजनैतिक दल जिसने पैरा 13 के अधीन फार्म "ख" में अभ्यर्थी के पक्ष में नोटिस दिया है उसे उस नोटिस का विखंडन कर सकता है और निर्वाचन–क्षेत्र के लिए फार्म "ख" में एक संशोधित नोटिस दूसरे अभ्यर्थी के पक्ष में दे सकता है।

बशर्ते फार्म "ख" में पुनरीक्षित सूचना जो स्पष्ट तौर पर उसमें यह बताती हो कि फार्म "ख" में पूर्व सूचना रद्द की दी गई है और नामांकन–पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख को 3 बजे अपराह्न के अपश्चात् उस निर्वाचन–क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाती है और फार्म "ख" में उक्त पुनरीक्षित सूचना पर पैरा 13 के खंड (घ) में वर्णित प्राधिकृत व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं।

साथ ही बशर्ते रिटर्निंग आफिसर को यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के संबंध में फार्म " ख" में एक से अधिक सूचना प्राप्त होती है और राजनैतिक दल फार्म "ख" में ऐसी सूचनाओं में यह बताने में असफल रहता है कि फार्म "ख" में पूर्व सूचना या सूचनाएं रद्द कर दी गई हैं। रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी के संबंध में, जिसका नामांकन–पत्र उन्हें प्रथमतः दिया गया था, फार्म "ख" में सूचना स्वीकार करेगा और बाकी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को, जिनके संबंध में उन्होंने फार्म "ख" में सूचना या सूचनाएं प्राप्त की थीं, ऐसे राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के रूप में नहीं माना जाएगा।]

14. [2][पैरा 6क अथवा 6ख] में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी हो जाने पर अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को उनके शीघ्र मान्यता देने के संबंध में अनुदेश निकालने की आयोग की शक्ति–

आयोग अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा [4][पैरा 6क अथवा पैरा 6ख में विनिर्दिष्ट ऐसी मान्यता के लिए कोई भी शर्त पूरी की है] उन्हें शीघ्र मान्यता देने के निमित्त उनके फायदे के लिए ऐसे अनुदेश निकाल सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

15. किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के अलग समूहों अथवा प्रतिद्वन्दी गुटों के संबंध में आयोग की शक्ति–जबकि अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के ऐसे प्रतिद्वन्दी गुट अथवा समूह हैं जिनमें से हर एक वह दल होने का दावा करता है तब आयोग उस मामले के समस्त उपलब्ध तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने तथा उन समूहों अथवा गुटों के ऐसे प्रतिनिधियों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो सुनवाई चाहे सुने जाने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि ऐसे प्रतिद्वन्दी गुटों अथवा समूहों में से अमुक गुट अथवा समूह वह राजनैतिक दल है या कोई भी वह राजनैतिक दल नहीं है, तथा आयोग का विनिश्चय ऐसे सभी प्रतिद्वन्दी गुटों अथवा समूहों पर आबद्धकर होगा।

16. दो या अधिक राजनैतिक दलों का समामेलन हो जाने की दशा में आयोग की शक्ति–

(1) जब ऐसे दो या अधिक राजनैतिक दल जिनमें से कोई एक मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल हो अथवा कुछ या सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल हों, कोई एक नया राजनैतिक दल बनाने के लिए परस्पर मिल जाते हैं, तब आयोग, इस मामले के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करके, नए बने दल के ऐसे प्रतिनिधियों तथा

---

1. अधिसूचना सं0 56/99/न्या0 ।।। तारीख 20 मई 1999 द्वारा अंतःस्थापित

2. अधिसूचना सं0 56/2000/न्या0 ।।। तारीख 1 दिसंबर 2000 द्वारा प्रतिस्थापित

अन्य व्यक्तियों को, जो सुनवाई चाहें, सुनने के पश्चात् तथा इस आदेश के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, यह विनिश्चय कर सकेगा–

(क) कि ऐसा नया बना राष्ट्रीय दल होना चाहिए अथवा राज्यीय दल ; तथा

(ख) उसे कौन सा प्रतीक आबंटित किया जाए।

(2) उपपैरा (1) के अधीन किया गया आयोग का विनिश्चय उस नए बने राजनैतिक दल तथा उसकी सभी घटक यूनिटों लिए आबद्धकर होगा।

[1][16क. मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा आचरण आदेश संहिता का अनुपालन न करने या आयोग के विधिसम्मत निदेर्शों और अनुदेशों का पालन न करने पर उसकी मान्यता स्थगित करने या वापस लेने की आयोग की शक्ति–

इस आदेश के होते हुए भी, यदि आयोग का अपने पास उपलब्ध सूचना से समाधान हो जाता है कि इस आदेश के उपबंधों के अधीन राजनैतिक दल चाहे वे राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल के रूप में मान्यताप्राप्त हो, यदि अपने आचरण से असफल रहता है, या अस्वीकार करता है या अस्वीकार कर रहा है या अवज्ञा दर्शा रहा है या अन्यथा (क) आयोग द्वारा जनवरी, 1991 में और समय–समय पर जारी "राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गनिर्देशन के लिए आदर्श आचरण संहिता" के उपबंधों का अनुपालन, या(ख) समय–समय पर आयोग के विधिसम्मत निदेशों और अनुदेशों का पालन और उनका कार्यान्वयन ताकि निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण निर्वाचनों को बढ़ावा मिल सके या सर्वसाधारण विशेष रूप से निर्वाचकों के हितों की रक्षा हो सके, आयोग उपलब्ध तथ्यों और मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में दलों को उपयुक्त अवसर देने के बाद आयोग जैसा उपयुक्त समझे, ऐसी शर्तों के अधीन ऐसे दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में या राज्यीय दल, जैसा भी मामला हो, की मान्यता स्थगित कर देगा या वापस ले लेगा।

17. राजनैतिक दलों तथा प्रतीकों की सूचियों को अंतर्विष्ट करने वाली अधिसूचना–

(1) निर्वाचन आयोग एक या अधिक अधिसूचनाओं के द्वारा भारत के राजपत्र में–

(क) राष्ट्रीय दलों तथा उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीकों ;

(ख) राज्यीय दलों, वह राज्य या वे राज्य जिसमें या जिनमें वे राज्यीय दल हैं, तथा ऐसे राज्य या राज्यों में उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीकों;

[2](खख) * * * * *

[3][(ग) अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल और उनके मुख्यालयों के पते आयोग में रजिस्टर है ;]

---

1. अधिसूचना सं0 आ0अ042 (अ), तारीख 18.2.1994 द्वारा अंतः स्थापित
2. अधिसूचना सं0 56/2000/आ0 अ0 11। तारीख 1.12.2000 द्वारा विलोपित
3. अधिसूचना सं0 56/2000/आ0 अ0 11। तारीख 1.12.2000 द्वारा प्रतिस्थापित

[1][(घ) प्रत्येक राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचियां प्रकाशित करेगा।]

(2) ऐसी हर एक सूची यथासंभव अद्यतन रखी जाएगी।

18. अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति–आयोग–

(क) इस आदेश के उपबंधों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए ;

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा

(ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आबंटन के किसी मामले तथा राजनैतिक दलों की मान्यता के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबंध नहीं है या उपबंध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्विघ्न तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबंध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश निकाल सकेगा।

[2][19 **********]

---

1. अधिसूचना सं0 56/99/न्या0अनु0 11। तारीख 8.6.1999 द्वारा प्रतिस्थापित
2. अधिसूचना सं0 56/99/न्या0अनु0 11। तारीख 8.6.1999 द्वारा पैरा 19 विलोपित

¹ [Qkei Þdþ

ekU;rkikIr jk"Vh; vFkok jkT;h; ny vFkok jftLVhdr vekU;rk ikIr jktufrd ny }kjk [kM fd, x,
mEehnokjk d uke iKkfir dju d fy, ikf/kdr 0;fDr;k d lc/k e llpuk
[fuokpu irhd ¼vkj{k.k vkj vkcVu½ vkn'k] 1968 d ijk 13 ¼x½] ¼?k½ o ¼M½]

lok e]

1. e[; fuokpu vf/kdkjh ....¼jkT;@l?k jkT;{k=½

2. fjVfux vkfQlj] ....fuokpu&{k=A

fo"k; ¼&...................¼jkT;@l?k jkT;{k=½ l ....d fy, lk/kkj.k fuokpu irhdk dk vkcVu&mEehnokjk d uke iKkfir dju d fy, 0;fDr;k dk ikf/kdr djukA

egkn;]

fuokpu irhd ¼vkj{k.k vkj vkcVu½ vkn'k] 1968 d ijk 13 ¼x½ ¼?k½ o ¼M-½ d vulj.k e e> ,rn}kjk ;g llfpr djuk g fd ny }kjk tk fd ....,d* jk"Vh; ny@*..........jkT; e jkT;h; ny@*jftLVhdr vekU;rk ikIr ny g] fuEufyf[kr 0;fDr@0;fDr;k dk mifjfyf[kr fuokpu e ny }kjk [kM fd, tku oky iLrkfor mEehnokjk d ukek dk iKkfir dju d fy, ikf/kdr fd;k x;k gA

*tk ykx u gk] ml dkV nA

ukfVl Hktu d fy, ikf/kdr 0;fDr dk uke	ny e /kkfjr in dk uke	fuokpu&{k=k d uke ftld lc/k e mlI ikf/kdr fd;k x;k g
1	2	3
1-		
2-		
3-		

____

1- vf/klpuk l0 56@97@U;k0AAA rkjh[k 15 fnlcj 1997 }kjk vrLFkkfir

2. bl idkj ikf/kdr mifjfyf[kr 0;fDr@0;fDr;k d gLrk{kjk d ueu uhp fn, x, g %&

1. Jh.....dk ueuk gLrk{kj
¼i½.....¼ii½.....
¼iii½.....

2. Jh.....dk ueuk gLrk{kj.....
¼i½.....¼ii½.....¼iii½.....

3. Jh.....dk ueuk gLrk{kj.....
¼i½.....¼ii½.....¼iii½.....

Hkonh;]
v/;{k@lfpo

ny dk ukeA

¼ny dh ekgj½

LFkku.....

fnukd.....

fo'k"k n"V0; % ¼1½ ;g fjVfux vkfQlj rFkk e[; fuokpu vf/kdkjh dk ukefun'ku i= nkf[ky dju dh vfUre rkjh[k dk 3.00 ct vijkºu d i'pkr vo'; n fn;k tk,A

¼2½ Qke mi;Dr inkf/kdkjh ¼inkf/kdkfj;k½ }kjk L;kgh l vo'; gh gLrk{kfjr gkuk pkfg,A fdlh Hkh inkf/kdkjh d vufyfi gLrk{kj vFkok jcj LVkEi vkfn d ek/;e l fd, gLrk{kj Lohdkj ugh fd, tk,xA

¼3½ QDl }kjk Hktk x;k dkb Hkh Qke Lohdkj ugh fd;k tk,xkA

[1][Qke Þ[kÞ

jktufrd ny }kjk [kM fd, x, vH;fFk;k d ukek dh lpuk

[fuokpu irhd ¼vkj{k.k vkj vkcVu½ vkn'k] 1968 d ijk 13¼[k½]¼x½]vkj ¼M-½ vkj 13d n[k**]**

lok e]

1. e[; fuokpu vf/kdkjh...................¼jkT;@l?k jkT;{k=½
2. fjVfux vkfQlj.......................¼fuokpu&{k=½

fo"k; ¼ ....¼jkT;@l?k jkT;{k=½ l.....................
....................d fy, l/kkj.k fuokpu&mEehnokjk dk [kMk fd;k tkukA

egkn;]

fuokpu irhd ¼vkj{k.k vkj vkcVu½ vkn'k] 1968 d ijk 3 ¼[k½] ¼x½ vkj ¼M½ vkj 13d d vuljk.k e] e ....¼ny½ dh vkj l ,rn}kjk lpuk nrk g fd og 0;fDr ftldk fooj.k uhp&

¼i½ LrHk 2 l 4 e fn, x, g mDr ukfer ny dk vuekfnr vH;Fkh g] vkj

¼ii½ og 0;fDr ftldk fooj.k uhp LrHk 5 l 7 e of.kr g] ny dk LFkkukiUu vH;Fkh g tk vuekfnr vH;Fkh d uke&fun'ku i= dh leh{kk d mijkr [kkfjt fd, tku vFkok mld fuokpu l gV tku ij mldk LFkku yxk ;fn LFkkukiUu vH;Fkh vHkh Hkh fuokpu yMu okyk vH;Fkh gA

fuokpu&{k= dk uke	vuekfnr vH;Fkh dk uke	vuekfnr vH;Fkh d firk@ekrk dk uke	vuekfnr vH;Fkh dk Mkd irk	LFkkukiUu vH;Fkh dk uke tk vuekfnr vH;Fkh d uke&fun'kr i= dh loh{kk d mijkr [kkfjt fd, tku vFkok mld fuokpu l gV tku d ckn mldk LFkku yxk ;fn LFkkukiUu vH;Fkh vHkh Hkh fuokpu yMu okyk vH;Fkh gA	LFkkukiUu vH;Fkh d firk@ekrk@ifr dk uke	LFkkukiUu vH;Fkh dk Mkd dk irk
1	2	3	4	5	6	7

1- vf/klpuk l0 56@97@U;kOAAA rkjh[k 15 fnlcj 1997 }kjk vr%LFkkfir

*2. Qke Þ[kÞ e ny d vuekfnr vH;Fkh d :i e Jh@Jherh@lJh.....ny d LFkkuki Uu vH;Fkh d :i e Jh@Jherh@lJh.....d i{k e igy nh xb lpuk ,rn}kjk fo[kfMr dh tkrh gA

1[3. ;g iekf.kr fd;k tkrk g fd iR;d vH;Fkh ftld uke dk Åij mYy[k fd;k x;k g] bl jktufrd ny dk ,d lnL; mldk uke] bl ny d lnL;k dh ukekoyh e fof/kor 'kkfey gA]

LFkku..... Hkonh;

rkjh[k..... ¼ny d ikf/kdr 0;fDr dk uke vkj gLrk{kj½

¼ny dh ekgj½

*;fn ykx u gk] rk dkV nA

ukV % 1. ukekdu i= nkf[ky dju dh vfre rkjh[k dk 3 ct vijkºu l vi'pkr fjVfux vkfQlj d ikl igp tkuk pkfg,A

2. Qke ij mDr of.kr inkf/kdkjh@inkf/kdkfj;k }kjk L;kgh l gLrk{kj gku pkfg,A fdlh inkf/kdkjh }kjk jcM LVkEi }kjk gLrk{kj ;k tkyh gLrk{kj Lohdkj ugh fd, tk,xA

3. QDl }kjk Hktk x;k dkb Hkh Qke Lohdkj ugh fd;k tk,xkA

4. ;fn ykx u gk rk Qke dk ijk 2 dkV n] vkj ;fn ykx gk rk ml mfpr :i l Hkjk tkuk pkfg,A

1- vf/klpuk l0 56@2000@U;k0AAA rkjh[k 1 fnlcj 2000 }kjk vrLFkkfir